ालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

ा–183/2022
ुति दिनांक–13.12.2022
िनांक–04.09.2024

नश्याम पुत्र पोखरलाल जाति जाट निवासी ग्राम सन्देडा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
वादी

बनाम

राधेश्याम पुत्र मु. महरामा जाति जाट निवासी ग्राम सन्देडा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
तहसीलदार पीपलू
बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीपलू
प्रतिवादीगण

ता वादी–श्री नन्दकिशोर शर्मा व श्री हेमराज गुर्जर एड0
ता प्रतिवादी संख्या 01–श्री विवेक चौधरी एड0 व छीतरलाल प्रजापत एड0

दावा बाबत् तकास्मा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92 ए, 188 राज.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 1848 रकबा 2.1497 हैक्ट. वाके ग्राम सन्देडा, पटवार हल्का सन्देडा, भू.अ.नि. लोहरवाड़ा तह0 पीपलू में है। जो राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा ा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादी व प्रतिवादी अपने–अपने की भूमि को काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहे है। वादी उपरोक्त वर्णित भूमि में जमाबंदी में अंकित हिस्से ाबिक मौके पर दो जगह काबिज होकर अपने अपने हिस्से की भूमि पर तारबंदी व डोल लगाकर काश्त एवं ग उपभोग करता चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमियों का पक्षकारान् के मध्य विधिवत् विभाजन नहीं हुआ ौके पर वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है, परन्तु जमाबंदी संयुक्त रूप से होने से वादी को अपने की भूमि के उपयोग उपभोग करने में परेशानियां उत्पन्न होती है। वादी अपने हिस्से का विभाजन करवाकर ूमि वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उस भूमि को अलग अंकित करवाने का हकदार है। प्रतिवादी विधिवत् विभाजन के उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी को उसके हिस्से में काश्त करने एवं उपयोग उपभोग करने ाया उत्पन्न कर रहा है। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया हैं कि वह अपने हिस्से की आराजी का ादत् तकास्मा करवा लेवे। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा पारित फरमाया जाकर

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादी के बीच विधिवत् तकारमा किया जाकर पक्षकारान् की पृथक-पृथक बंदी की जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वक्ता श्री विवेक चौधरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की त्र के चरण संख्या 03 में अंकित खसरा नम्बर की प्रतिवादी कब्जे अनुसार तकारमा करवाने हेतु सहमत हैं। त्र के चरण संख्या 04 में वर्णित तथ्य गलत है। वादी प्रतिवादी के विरूद्ध कानूनन स्थायी निषेधाज्ञा का ोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादपत्र के अन्त में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष "अ" की हद तक ार है किन्तु विभाजन के समय आराजी पर पहूंचने हेतु रास्ते की तरमीम किया जाना भी अतिआवश्यक हैं पक्षकारान् के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वेक कब्जे अनुसार विवादित आराजीयात का रास्ते को ध्यान में रखते हुए विभाजन किये जाने हेतु प्रतिवादी त हैं।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 199/1648 रकबा ा हैक्ट. वाके ग्राम सन्देडा, जो राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें का 1/2 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा है। वादी उपरोक्त वर्णित भूमि में ा हिस्से के मुताबिक मौके पर दो जगह काबिज होकर अपने अपने हिस्से की भूमि पर तारबंदी व डोल र काश्त एवं उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमियों का पक्षकारान् के मध्य त् विभाजन नहीं हुआ है। मौके पर वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है, परन्तु जमाबंदी संयुक्त रूप से से वादी को अपने हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग करने में परेशानियां उत्पन्न होती है। प्रतिवादी बिना त् विभाजन के उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी को उसके हिस्से में काश्त करने एवं उपयोग उपभोग करने में उत्पन्न कर रहा है। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया हैं कि वह अपने हिस्से की आराजी का त् तकास्मा करवा लेवे। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा पारित फरमाया जाकर वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के बीच विधिवत् तकास्मा किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या अपनी बहस में बताया कि मुताबिक कब्जे काश्त एवं हक हिस्से अनुसार रास्ते को ध्यान में रखते हुए वाद प्राथमिक डिक्री किये जाने में अपनी सहमति दी। बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध ात का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 01 ने वाद पत्र में वर्णित आराजीयात ख0न0 199/1648 रकबा 2. हैक्ट. वाके ग्राम सन्देडा का अपने बहामी बंटवारे व मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन किये जाने एवं ी पर पहुंचने हेतु रास्ते की तरमीम किये जाने पर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये में अपनी सहमति जाहिर । मुताबिक जमांबदी से उक्त वर्णित आराजियात वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी का प्रकट होता हैं। राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखने के आधार पर उभयपक्ष अपनी खातेदारी की विभाजन के हकदार है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के बीच दिनांक देनांक 04.04.2023 व 1040 दिनांक 22.03.2024 से प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार पीपलू को

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

ान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए मौके पर कब्जे व
रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया था।
पालना में तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 2540 दिनांक 24.07.2023 से तकास्मा प्रस्ताव व 1490 दिनांक
2024 से तकास्ता रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने तकास्मा रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता
ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर तकास्मा कर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।
ता प्रतिवादी ने भी प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट से तकासमा रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी डिक्री किये जाने में
सहमति जाहिर की है। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादी बाबत् तकास्मा आराजीयात
र किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं की मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम संदेडा,
हल्का संदेडा में स्थित आराजी भूमि ख0न0 199/1648/2 रकबा 0.7200 हैक्ट. व ख0न0 199/1648/4
0.3548 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 1.0748 हैक्ट. वादी घनश्याम पुत्र पोखर जाति जाट सा. देह
र राहिन बी.ओ.बी. शाखा पीपलू के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि ख0न0 199/1648/1 रकबा 0.6400
व ख0न0 199/1648/3 रकबा 0.4349 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 1.0749 हैक्ट. प्रतिवादी राधेश्याम
महरामा जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन बी.ओ.बी. शाखा पीपलू के नाम रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा।
लदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं
शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न
रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को खुले न्यायालय में
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with OKEN Scanner